न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ......मनीषा...... बनाम ......उत्तम सिंह......

किस्म मुकदमा......212 RT Act...... मु0नं0......20...... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.01.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 23.02.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ0ख0नं0 636/1.8700 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम पुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर मे राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 23.02.2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
23/2/21	प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ दिनांक 26.2.21 को पेश हो। [signature]
26/2/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया का वाद डिक्री किया जा चुका है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य [illegible] इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया [illegible] पत्रावली नियमानुसार [illegible] वाद संलग्न [illegible] बाद हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested